क्रमांक 9293-3 जी0एस0–II–75/33759

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. हरियाणा राज्य के सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त, अम्बाला तथा हिसार मण्डल, सभी उपायुक्त तथा सभी उप मण्ड अधिकारी (सिविल) हरियाणा में ।

2. रजिस्ट्रार पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ तथा सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरियाणा में

दिनांक, चण्डीगढ 17 नवम्बर, 1975 ।

महोदय,

विषय :— सेवा अवधि के दौरान मरने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को अनुदान व अन्य सुविधाएं देना ।

मुझे निदेश हुआ है कि मैं आपका ध्यान उपर्युक्त विषय पर हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 817–3 जी एस०–II-73/6209 दिनांक 8 मार्च , 1973 द्वारा जारी किये गए अनुदेशों की ओर दिलाऊं जिनके अनुसार अराजपत्रित मृत कर्मचारियों के मामले विभागाध्यक्ष द्वारा और राजपत्रित अधिकारियों के मामले सम्बन्धित प्रशासकीय सचिव द्वारा अनु० अनु की स्वीकृति तथा डिसबरसमैंट हेतु भेजे जाने हैं। परन्तु यह देखने में आया है कि इन हिदायतों का दृढता से पालन नहीं किय जा रहा है और कई मृतक कर्मचारियों से सम्बन्धित अनुग्रहपूर्वक अनुदान के मामले एक ओर नीचे के स्तर से प्राप्त हो र हैं और दूसरी ओर सम्बन्धित विभागाध्यक्ष द्वारा भी सरकार को रैफर किये जाते हैं। इस प्रकार जहां कार्य में अनावश्यव वृद्धि हो रही है वहां प्रार्थियों को दोहरी अदायगी होने की संभावना है। अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि सरकार के उपरोक्त पत्र में वर्णित अनुदेशों का दृढ़ता से पालन किया जाए और भविष्य में यह मामले केवल सम्बन्धित प्रशासकीय सचिव/विभा अध्यक्षों द्वारा ही सरकार को प्रस्तुत किये जाएं ।

2. कृपया इसकी पावती भेजी जाए ।

हस्ता/
अवर सचिव, न्यायाचार
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार